INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIVE THOUSAND

Rs. 5000 भारत INDIA Rs. 5000

03BB 957960

1 JUN 2010

-1-

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि	—	रू0 4,80,000/-
अग्रिम धनराशि	—	रू0 4,75,000/-
बकाया धनराशि	—	रू0 5,000/-
मालियत		रू0 2,50,290/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	—	रू0 33,700/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि

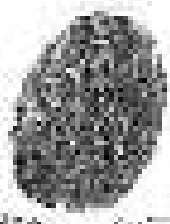

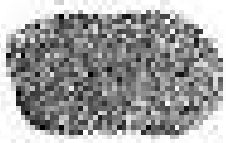

[illegible]

[illegible]

₹15000 भारतीय गैर न्यायिक ₹15000

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0388 657970

1 JUN 200[illegible]

2. परगना — बिजनौर

3. ग्राम — दरौना

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 510 रकबा 0.076 व खसरा संख्या 579 रकबा 0.202 यानी कि कुल रकबा 0.278 हेक्टेयर का 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.0927 हे0 स्थित ग्राम— दरौना, परगना — बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.0927 हेक्टेयर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. रकबा की स्थिति — [illegible]

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं आदि — कुछ भी नहीं है।

मौजूदगी खसरा नं0 610

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

उत्तर : खसरा नं0 [illegible]

दक्षिण : खसरा नं0 5?5

पूरब : खसरा नं0 572, 574, 57?

पश्चिम : खसरा नं0 ?19, 520, 5??

चौहद्दी खसरा नं0 578का

उत्तर : खसरा नं0 481, 4??

दक्षिण : खसरा नं0 584, 583, 582

पूरब : खसरा नं0 582, 585, 587

पश्चिम : खसरा नं0 556, 557 व अन्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 653524

प्रथम पक्ष की संख्या 1 द्वितीय पक्ष की संख्या–

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
रामलखन पुत्र श्री शखपत निवासीग्राम–शोभलोब,करौना परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	मुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम– मुं मेमी बिजौरी जिला लखनऊ से
व्यवसाय कृषि		व्यवसाय– कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 636641

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र रामजतन पुत्र श्री रामपाल निवासीग्राम–[illegible], परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ। जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं।

एवम्

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AQ 906527

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दुल्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम [illegible] पो० [illegible] तिलोई, जिला रायबरेली। [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] है [illegible] अन्तर्गत द्वितीय पक्ष [illegible] सम्मिलित हैं के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible] कि प्रथम पक्ष [illegible] खसरा संख्या 510 रकबा 0.076 [illegible] खसरा संख्या 579 रकबा 0.202 [illegible] कि कुल रकबा 0.275 [illegible] 1/3 [illegible] विक्रीत रकबा 0.0427 [illegible] ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 986528

-2-

मालिक काबिज व दाखिल है तथा उपरोक्त [illegible] खाता खतौनी संख्या 00... के अनुसार भूमि [illegible] राजस्व अभिलेखों में बतौर [illegible] दर्ज है। [illegible] अपना सम्पूर्ण हिस्सा [illegible] को इस विक्रय [illegible]

विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के [illegible] [illegible] व काबिज है एवं वर्तमान [illegible] में उक्त भूमि पूर्ण रूप से [illegible] इस लिए प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है। प्रथम पक्ष ने उक्त इस विक्रय के पूर्व कहीं भी [illegible] गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण व अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उनके वारिसान व वैधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के अन्तरणार्थ कुल विक्रय मूल्य रू० 4,80,000/- (रू० चार लाख अस्सी हजार मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करने तथा बैनामा के लिखने से पहले अग्रिम धनराशि रू० 4,75,000/- (रू० चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहीं स्वीकार करता है तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से [illegible] भूमिधर दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में [illegible] भूमिधर घोषित होने के बाद सक्षम अधिकारी से विक्रय करने की अनुमति लेगा और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात

द्वितीय पक्ष को कब्जा देना और भुगतान देने की तिथि से चार महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष ने [illegible] शेष रकम [illegible] रू० 5,000/- (पाँच हजार रुपया) लेकर अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इनकार नहीं करेगा तथा ऐसा किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अदालत [illegible] द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध के द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त [illegible] पर प्रथम पक्ष तथा उसके परिवार का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति [illegible] कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में न होने के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष [illegible] उसके मालिकाना [illegible] कब्जे से [illegible] अधिकार या कब्जा से वंचित होने की स्थिति में [illegible], [illegible] को यह हक होगा कि वह अपना हर्जाना नुकसान [illegible] प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से [illegible] वसूल कर लें। ऐसी स्थिति में [illegible] उसके मालिकाना [illegible] होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि [illegible] विकास प्राधिकरण, [illegible] तथा [illegible] आवास एवं विकास परिषद, [illegible] तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

[illegible] [illegible]

यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष की कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर [illegible] ग्रामीण अकृषिक [illegible] के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू० 27,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि [illegible] हे० की मालियत रू० 2,00,290/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की मालियत मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 33,700/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निष्पादन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से अपने होशो हवास लिख दिए ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट भुगतान विवरण</u>

1. प्रथम पक्ष को रू० 4,53,000/- द्वारा चैक संख्या-[illegible] दिनांकित [illegible] पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

2. प्रथम पक्ष को रू0 25,000/— नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को कुल अंकन धनराशि रू0 4,75,000/— (रू0 चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी [illegible] इकरार पत्र स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक : [illegible].09.2011

गवाह :

1. [illegible]

2. [illegible]

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

([illegible] शाह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

([illegible] रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

पी. के. द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

पी. के. द्विवेदी
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

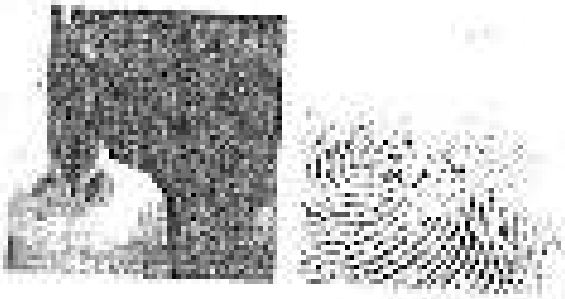

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32ए के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पता:- [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

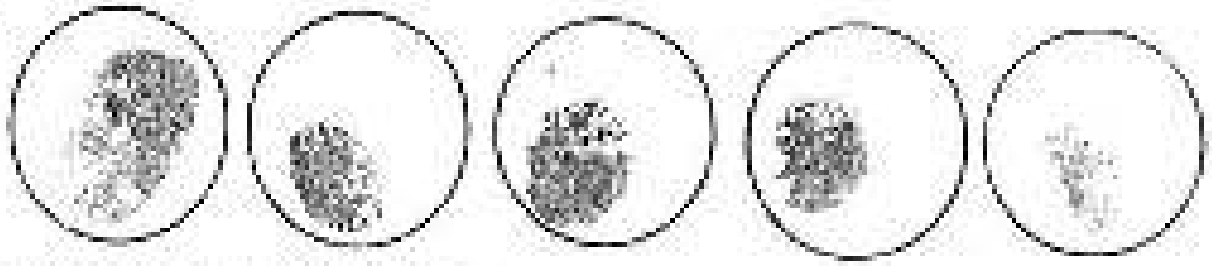

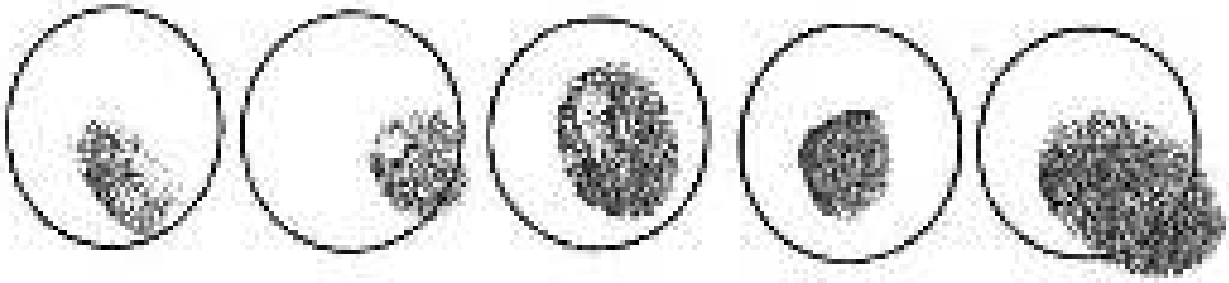

द्वितीय पक्ष का नाम व पता:- मुन्नी पुत्र राजाराम निवासी ग्राम [illegible] जिला रायबरेली।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

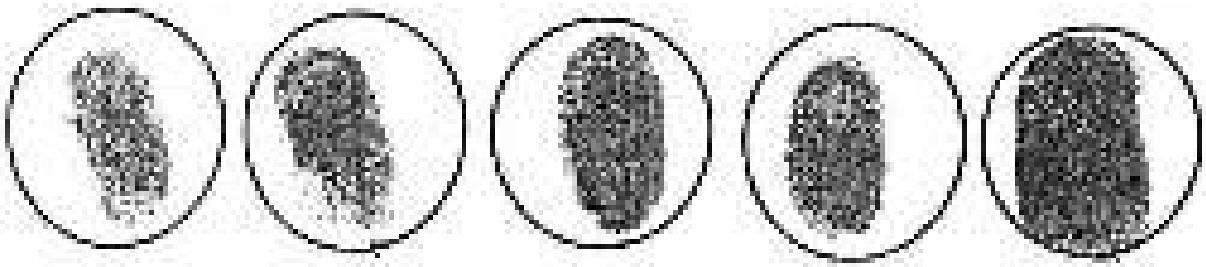

द्वितीय [illegible]

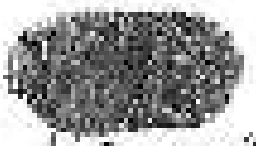

[illegible] मुन्नी

आज दिनांक 19/09/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 13200

पृष्ठ सं. 119 से 148 पर क्रमांक 13332

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. [illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

इलाहाबाद

19/09/2011